कार्यालय जिला पंचायत, जिला–इन्दौर

Email addres**: ceozpind@mp.gov.in** Fax:- 073102449115
Website Address : www.zpindore.nic.in

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.

➢ उद्वेश्य :–

इस योजना का उद्वेश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करके देश के **ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है** ।

➢ रोजगार की गारंटी :–

प्रत्येक जाबकार्डधारी परिवार के समस्त अकुशल वयस्क सदस्य मिलकर वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी है । एक परिवार एक वर्ष में सौ दिनों का काम पाने का हकदार है ।

➢ ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण :–

काम का इच्छुक प्रत्येक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकता है । पंजीकरण 5 वर्ष तक वैध है ।

➢ महत्वपूर्ण दस्तावेज (जाब–कार्ड) :–

ग्राम पंचायत पंजीकृत परिवार को फोटोग्राफ युक्त जॉब–कार्ड जारी करेगी । इस जॉब–कार्ड पर पंजीकरण संख्या अंकित होगी । यह जॉब–कार्ड पॉच वर्ष के लिए वैध होगा ।

➢ कार्य के लिये आवेदन :—

रोजगार पाने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क को अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (ब्लाक/पंचायत समिति स्तर पर) को लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त पावती प्राप्त करे । आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए ।

➢ महिलाओं को प्राथमिकता :—

महिलाओं के लिए प्राथमिकता दी जायेगी जिससे रोजगार पाने वालों में से कम एक तिहाई (33%) संख्या महिलाओं की हो

➢ समयबद्ध रोजगार आबंटन :—

- आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जायेगा ।
- ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अन्दर यह सूचित करेगी, कि कब और कहॉ काम के लिए उपस्थित होना है । ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जायेगी ।

➢ बेरोजगारी भत्ते का भुगतान :—

- यदि आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । यदि वह व्यक्ति या उसके स्थान पर उसके परिवार का अन्य व्यक्ति आबंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का आगे हकदार नहीं होगा ।

- बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा । लेकिन वित्त वर्ष में 100 दिवस रोजगार से अधिक नहीं होगा ।

➢ न्यूनतम मजदूरी की गारंटी :–

- राज्य, कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम 122/– रू. मजदूरी देगा ।
- मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह अधिकत्म 2 सप्ताह के भीतर किया जायेगा ।
- कार्य, आवेदक के निवास स्थान से 5 कि.मी. की परीधि के भीतर दिया जायेगा । यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी ।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जायेगी ।
- यदि कार्य स्थल पर लाये जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किये गये कार्यो का भुगतान किया जायेगा।
- कार्य स्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज कराया जायेगा ।
- किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25,000/– तक या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

➢ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन :–

प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किये जा सकते है :–

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण
- सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्षारोपण
- सिंचाई की नहरें, जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है ।
- अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों के भू–स्वामियों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा आई.ए.वाय. के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाये ।
- पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण,जिसमें तालाबों का सुद्रढीकरण शामिल है।
- भूमि विकास, बारहमासी सड़क सम्पर्क ।
- बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज सहित कार्यो का संरक्षण ।
- अन्य ऐसे कार्य जिन्हें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित कर सकती है ।
- कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनाही अर्थात् प्रवेश–निषेध है ।